Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 03– (तीन) / 2015 / 1006
दिनांक : 3-02-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
जन भारती महाविद्यालय,
डिलिया तलवल, गाजीपुर।

विषयः– जन भारती महाविद्यालय, डिलिया तलवल, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 विभागाध्यक्ष पद हेतु चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित **विभागाध्यक्ष (बी0एड0)** के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा** तथा **इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत्/अनुमोदित पाया गया तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म–तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ0 विरेन्द्र सिंह यादव	श्री रामवृक्ष सिंह यादव	09.03.1959	एम.एड., पी.एच–डी	विभागाध्यक्ष (बी0एड0)

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **अध्यापकों के लिये अंशदायी-भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।**

भवदीय,

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03– (तीन)/2014/ 8798
दिनांक : 18.10.14

सेवा में,

प्रबन्धक,
जन भारती महाविद्यालय,
डिजिया तलवल, गाजीपुर।

विषयः– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम मे प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010 एवं 25 नवम्बर, 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म–तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
श्री धीरेन्द्र मोहन यादव	श्री हरिशंकर यादव	01.12.1983	एम.एड.,नेट.	बी0एड0 (प्रवक्ता) कला वर्ग
श्री रामधीरज यादव	श्री श्याम अवध यादव	24.03.1983	एम.एड.,नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता) कला वर्ग
श्री सिद्वार्थ ओझा	श्री सुधाकर ओझा	21.11.1986	एम.एड.,नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता) कला वर्ग
श्री सौरभ कुमार	श्री जयप्रकाश	05.09.1986	एम.एड.,नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता) विज्ञान वर्ग
श्री बलवीर	श्री रामादीन	02.04.1983	एम.एड.,नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता) कला वर्ग
श्री रामप्रकाश सिंह यादव	श्री मुंशी सिंह यादव	03.07.1979	एम.एड.,नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता) कला वर्ग
श्री योगेश कुमार यादव	श्री श्यामफेर सिंह यादव	12.07.1990	एम.एड.,नेट.	बी0एड0 (प्रवक्ता) विज्ञान वर्ग

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।**

भवदीय,

कुलसचिव